राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–5625/2022 (791/2022)

सीता खण्डेलवाल (कर्मचारी आई.डी.– आरजेजेपी199417010294)

–अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.10.2022
आदेश की दिनांक : 07.12.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से : श्री अजयराज टांटिया, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस. काला, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. इस अपील अपीलार्थी का यह कथन रहा है कि अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पर रा.उ.मा.वि., घाटगेट, आगरा रोड़, जयपुर में पदस्थापित है। आलौच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण रा.उ.मा.वि., भांभोरिया, सांगानेर, जयपुर में किया गया है, जबकि अपीलार्थी आदेश दिनांक 24.09.2022 के द्वारा वर्तमान स्थान पर पदस्थापित किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानांतरण 13 दिवस की अल्पावधि में पारित किया गया है, जो विधि एवं नियम विरूद्ध है। इस अपील में दिनांक 20.10.2022 को अधिकरण द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश पारित कर विवादग्रस्त स्थानांतरण आदेश दिनांक 10.10.2022 को कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 12.10. 2022 की क्रियान्विति अपीलार्थी के संबंध तक अधिकरण की आगामी तिथि तक स्थगित किये जाने के आदेश दिये थे। उक्त आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया था कि अपीलार्थी या उनके अभिभाषक को 2 सप्ताह में प्रत्यर्थीगण के नोटिश एवं अपील मय प्रलेख की प्रति प्रस्तुत करनी है। नोटिस प्रस्तुत नहीं करने पर स्थगन आदेश स्वतः ही प्रभावहीन हो जायेगा। उक्त आदेश दिनांक 20.10.2022 की पालना में अपीलार्थी की ओर से नोटिस दिनांक 02. 12.2022 को प्रस्तुत किये गए। अतः स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने अंतरिम स्थगन

आदेश दिनांक 20.10.2022 की पालना में 2 सप्ताह में नोटिस पेश नहीं किये थे। अतः स्थगन आदेश स्वतः ही प्रभावहीन हो चुका है। वर्तमान में निर्जी प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है एवं प्रार्थना पत्र के साथ नवीन स्थानांतरण आदेश दिनांक 28.10.2022 की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें अपीलार्थी का नवीन स्थानांतरण रा.उ.प्रा.वि. चित्रावाला, सांगानेर शहर, जयपुर किया जा चुका है।

2. हमारे द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पूर्व का स्थानांतरण आदेश दिनांक 10.10.2022, जिसे इस अपील में चुनौती दी है, वो आदेश अब नवीन स्थानांतरण आदेश पारित होने से प्रभावशील नहीं है। इसके अलावा उपरोक्त विवेचना के अनुसार स्थगन आदेश भी स्वतः ही प्रभावहीन हो चुका है। ऐसे में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 20.10.2022 निरस्त माना जायेगा। इस अपील में राज्य सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली वास्ते पेश होने जवाब प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 हेतु पत्रावली रजिस्ट्रार के समक्ष पेश हो।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)